भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या -681

उत्तर देने की तारीख- 06/02/2023

पारंपरिक वनवासी

681. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रत्येक राज्य में उन संभावित गांवों/बसावटों की जिले-वार संख्या कितनी है जहां अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत (वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 लागू किया जाना है;

(ख) प्रत्येक राज्य में उन जिलों, गांवों/बसावटों का जिले-वार ब्यौरा क्या है जहां एफआरए के अंतर्गत राज्यों द्वारा वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में जिला-वार उन गांवों/बसावटों की संख्या क्या है जिन्होंने एफआरए की धारा 3 (1) (झ) के अंतर्गत समुदाय वन संसाधन अधिकार का दावा किया है और इनमें से कितने दावों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। अधिनियम की धारा 6 में, राज्य द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और दावों के निपटान के लिए वन अधिकार समिति (एफआरसी), सब-डिवीजन स्तरीय समिति (एसडीएलसी), जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) और राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) सहित विभिन्न समितियों के गठन करने का उल्लेख किया गया है। ग्राम-वार और बस्ती-वार जहां वनाधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन किया जा रहा है और वन अधिकार समितियां गठित की गई हैं, का विवरण राज्यों द्वारा रखा जाता है। एफआरए के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) प्रस्तुत करते हैं। एमपीआर में, अन्य बातों के साथ-साथ, दर्ज किए गए व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों, वितरित स्वामित्व अधिकारों, खारिज किए गए दावों, वन भूमि की सीमा जिसके लिए स्वामित्व अधिकार वितरित किए गए हैं, के संबंध में राज्य-वार आंकड़े शामिल होते हैं। एफआरए को लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने-अपने

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 'एफआरसी' के गठन के बारे में अपनी-अपनी रिपोर्टें दी हैं। एफआरए के तहत 30.11.2022 तक व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों की प्रदायगी का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-1** पर दिया गया है। एफआरए के तहत आने वाले गांवों की जिला-वार कवरेज, एफआरसी के गांव-वार गठन और एफआरए की धारा (3) (1) के प्रत्येक खंड (क) से (ड) तक में परिकल्पित अधिकारों के प्रदान करने के बारे में विवरण/आंकड़े राज्यों द्वारा रखे जाते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, अधिनियम और उसके तहत नियमों के अनुसार,अधिनियम के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। अधिनियम के कुशल और शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय,राज्यों को समय-समय पर सलाह और दिशानिर्देश जारी करता है, साथ ही व्यक्तिगत अधिकारों और सामुदायिक अधिकारों की मान्यता पर बैठकें और सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के हित के लिए सामुदायिक वन संसाधन के सतत उपयोग के लिए उनके संसाधनों की सुरक्षा, पुनः-सृजन, संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है।

अनुलग्नक -1

दिनांक 06.02.2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 681 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 30.11.2022 तक प्राप्त दावों, वितरित स्वामित्व अधिकार और वन भूमि की सीमा जिसके लिए स्वामित्व अधिकार वितरित (व्यक्तिगत और समुदाय) प्रदान किये गये हैं, का राज्यवार विवरण, नीचे दिया गया है:

:

क्र.सं.	राज्य	30.11.2022 तक प्राप्त दावों की संख्या			30.11.2022 तक वितरित स्वामित्व अधिकारों की संख्या			वन भूमि की सीमा (एकड़ में) जिसके लिए स्वामित्व अधिकार वितरित किये गये		
		वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल	वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल	वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल
		1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	2,81,431	3,294	2,84,725	2,17,981	1,822	2,19,803	4,46,068	5,26,455	9,72,523.00
2	असम	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
3	बिहार	8,022	एनए/एनआर	8,022	121	0	121	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
4	छत्तीसगढ़	8,71,457	50,889	9,22,346	4,46,041	45,764	4,91,805	8,98,685.35	49,00,036.27	57,98,721.63
5	गोवा	9,758	378	10,136	472	13	485	884.37	18.16	902.53
6	गुजरात	1,82,869	7,187	1,90,056	91,686	4,597	96,283	1,56,924.55	12,36,490.19	13,93,414.74
7	हिमाचल प्रदेश	2,746	275	3,021	129	35	164	5.96	4,741.80	4,747.76
8	झारखंड	1,07,032	3,724	1,10,756	59,866	2,104	61,970	1,53,395.86	1,03,758.97	2,57,154.83
9	कर्नाटक	2,85,874	5,862	2,91,736	14,783	1,344	16,127	19,998.38	36,340.52	56,338.90
10	केरल	43,889	940	44,829	27,637	190	27,827	36,594.74	7,37,414.40	7,74,009.14
11	मध्य प्रदेश	5,85,326	42,187	6,27,513	2,66,609	27,976	2,94,585	9,02,750.46	14,63,614.46	23,66,364.92
12	महाराष्ट्र	3,62,679	12,037	3,74,716	1,65,032	7,084	1,72,116	3,92,928.73	27,36,660.68	31,29,589.41
13	ओडिशा	6,29,913	15,430	6,45,343	4,54,454	7,706	4,62,160	6,67,625.99	3,45,832.37	10,13,458.36
14	राजस्थान	1,10,670	2,697	1,13,367	48,460	576	49,036	66,251.10	44,916.99	1,11,168.09
15	तमिलनाडु	33,755	1,082	34,837	8,144	450	8,594	9,626.44	एनए/एनआर	9,626.44
16	तेलंगाना	2,04,176	2,808	2,06,984	97,434	102	97,536	3,10,916.00	3,631.00	3,14,547.00
17	त्रिपुरा	2,00,557	164	2,00,721	1,27,931	101	1,28,032	4,65,192.88	552.40	4,65,745.28
18	उत्तर प्रदेश	92,577	1,162	93,739	18,049	861	18,910	19,190.27	1,20,776.00	1,39,966.27
19	उत्तराखंड	3,587	3,091	6,678	184	1	185	0.00	0.00	0.00
20	पश्चिम बंगाल	1,31,962	10,119	1,42,081	44,444	686	45,130	21,014.27	572.03	21,586.29
21	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
22	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
कुल		**42,97,245**	**1,69,372**	**44,66,617**	**21,46,782**	**1,02,889**	**22,49,671**	**45,68,053**	**1,22,61,811**	**1,68,29,864.60**

एनए/एनआर-संबंधित आंकड़े या तो उपलब्ध नहीं हैं या सूचित नहीं किए गए हैं।

*****